[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 57/2017-सीमाशुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, 29 जून, 2017

सा.का.नि. (अ) - सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 74 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, आयातित माल का पुनः निर्यात (सीमाशुल्क प्रति अदायगी) नियमावली, 1995 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती है:-

1. (1) इन नियमों को आयातित माल का पुनः निर्यात (सीमाशुल्क प्रति अदायगी) संशोधन नियमावली, 2017 कहा जाएगा ।

(2) ये 1 जुलाई, 2017 से लागू होंगे ।

2. आयातित माल का पुनः निर्यात (सीमाशुल्क प्रति अदायगी) नियमावली, 1995 में, -

(क) नियम 2 में, धारा (क) के स्थान पर निम्नलिखित धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

'(क) भारत से निर्यातित होने वाले किसी माल के संबंध में "प्रतिअदायगी" से अभिप्राय ऐसे माल के आयात पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) में यथा संदर्भित किसी शुल्क या कर या उपकर, के किए गए भुगतान के सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 74 के अनुसार वापस किए जाने से है;';

(ख) नियम 5 में, उपनियम (1) में, परन्तुक में, "अथवा प्रधान आयुक्त अथवा आयुक्त सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क" शब्द जहाँ भी वे होते हैं लोपित किए जाएंगे ।

[फा. सं. 609/53/2017- ड्राबैक)

(आनंद कुमार झा)

अवर सचिव भारत सरकार

टिप्पणी:- प्रधान नियम, भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 440(अ) दिनांक 26 मई, 1995 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 36/95-सीमाशुल्क (गै.टै.) 26 मई, 1995 के तहत प्रकाशित किए गए थे और इनमें भारत के राजपत्र असाधारण भाग II खंड-3, उपखंड (i) में सा. का. नि. संख्या 565(अ) दिनांक 6 अगस्त, 2014 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 56/2014-सीमाशुल्क (गै.टै.) दिनांक 6 अगस्त, 2014 के तहत अंतिम बार संशोधन किया गया था ।